OFFICE OF DIRECTOR COLLEGE DEVELOPMENT COUNCIL
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

Prof. (Dr.) K.K.N. Sharma
Director
College Development Council

Mob.No. 09425172479
E-mail- dcdcsu@gmail.com

क्रमांकः डीसीडीसी/2020/2818 — 03 जून 2020

प्रति,

अति–आवश्यक

प्राचार्य,
समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विषयः विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में परिनियम क्रमांक 28 के तहत नियुक्ति वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों की जानकारी विषयक ।

संदर्भः इस कार्यालय के डीसीडीसी/2020/2815 दिनांक 29 मई 2020

———000———

1. उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में परिनियम क्रमांक 28 के तहत नियुक्ति विवरण निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र चाहा गया था । परन्तु महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप में संशोधन/परिवर्तन कर शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है जो अमान्य है ।

2. महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय निर्धारित प्रारूप में ही शपथ–पत्र (सुलभ सदर्भ हेतु शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है) मान्य होगें। इसमें किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। जिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संशोधन/परिवर्तन कर शपथ पत्र प्रेषित किये गये है उन्हें पुनः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र पुनः प्रस्तुत करें । इसका परिपालन न होने पर प्रेषित शपथ पत्र को अमान्य कर उस महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है । जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी महाविद्यालय संचालक/प्रशासन की होगी। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।

3. अतः विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप में दिनांक 08 जून 2020 तक इस कार्यालय के ई–मेल **dcdcsu@gmail.com** पर प्रेषित कर इसकी मूलप्रति पंजीकृत–डाक के माध्यम से प्रेषित करें।

<u>**संलग्न**</u>– <u>शपथ–पत्र के प्रारूप (संख्या–2)</u>

के.के.एन.शर्मा 3/6/2020
I/C निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपिः–

1. **प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल**–को विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
2. **कुलपति के सचिव** – को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. **सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय** – को कुलसचिवजी के सूचनार्थ।

के.के.एन.शर्मा 3/6/2020
I/C निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद

शपथ–पत्र

समक्ष– कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मैं ———————————————————संचालक/प्राचार्य, उम्र ——— कालेज का नाम ——————— पता————————, कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक———————————— दिनांक——————— के तारतम्य में चाही गई जानकारी के संबंध में शपथपूर्वत कथन करता हूँ कि:–

1. यह कि मेरे द्वारा संचालित ——— (महाविद्यालय का नाम)—————— में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों/प्रावधानानुसार बी.एड./एम.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु जरूरी अधोसंरचना (Infrastucture) उपलब्ध है । यह महाविद्यालय किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से वर्तमान में संबद्ध नहीं है ।

2. यह कि उक्त महाविद्यालय में बी.एड./एम.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु परिनियम 28 के तहत वर्तमान में प्राचार्य/शिक्षकों नियुक्त है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	नाम	श्रेणी	पता	पद	नियुक्ति तिथि	मासिक भुगतान (वेतन)

अथवा

यह कि महाविद्यालय में परिनियम क्रमांक 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्त नहीं की गई है । इस संबंध मे हम शपथपूर्वत कथन करते है कि तीन माह के भीतर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति तथा अन्य अधोसंरचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर ली जावेगी तथा तद्नुसार विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जावेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ——————————————————————सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा क्रमांक 01 से 02 के अंतर्गत किये गये कथन सत्य एवं सही है ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

शपथ–पत्र

समक्ष– कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मैं ————————————————संचालक/प्राचार्य, उम्र ———— कालेज का नाम ———— पता————————, कुलसचिव, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा जारी पत्र कमांक———————————— दिनांक—————————— के तारतभ्य में चाही गई जानकारी के संबंध में शपथपूर्वत कथन करता हूँ कि:–

1. यह कि मेरे द्वारा संचालित ———— (महाविद्यालय का नाम)—————— में विश्वविद्यालय के मापदण्डों एवं परिनियम क. 27 प्रावधानानुसार सामान्य पाठ्यकमों (बी.ए., बी.काम. बी.एससी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., एलएल.बी.(तृतीय वर्षीय), एलएल.बी.(पंचवर्षीय), बी.लिब., बी.जे.(सी), एम.ए., एम.काम., एम.एससी., एम.सी.एम., पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एफ.एम.) के संचालन हेतु जरूरी अधोसंरचना (Infrastucture) उपलब्ध है । यह महाविद्यालय किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से वर्तमान में संबद्ध नहीं है ।

2. यह कि उक्त महाविद्यालय में सामान्य पाठ्यकमों (बी.ए., बी.काम. बी.एससी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., एलएल.बी.(तृतीय वर्षीय), एलएल.बी.(पंचवर्षीय), बी.लिब., बी.जे.(सी), एम.ए., एम.काम., एम.एससी., एम.सी.एम., पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एफ.एम.) के संचालन हेतु परिनियम 28 के तहत वर्तमान में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्त है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.	नाम	श्रेणी	पता	पद	विषय	नियुक्ति तिथि	मासिक भुगतान (वेतन)

अथवा

यह कि महाविद्यालय में परिनियम कमांक 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्त नहीं की गई है । इस संबंध मे हम शपथपूर्वत कथन करते है कि तीन माह के भीतर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति तथा अन्य अधोसंरचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर ली जावेगी तथा तद्नुसार विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जावेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

कैलाश शर्मा 27-5-20

मैं ——————————————————————सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा कमांक 01 से 02 के अंतर्गत किये गये कथन सत्य एवं सहीं है ।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता